HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3573/2026

Ranjeet S/o Om Prakash, Aged About 25 Years, R/o Mukam, Police Station Nokha, District Bikaner. (At Present Lodged In Central Jail Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14722/2025

Kaluram S/o Late Puranmal, Aged About 45 Years, Resident Of Village Bamankhedi Police Station Nikumbh District Chittorgarh State Rajasthan (At Present Lodged In District Jail Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3042/2026

Prakash S/o Devaram, Aged About 27 Years, R/o Vinayakpura Bhawad Police Station Karwar District Jodhpur Rajasthan. (At Present Incarcerated In Dist. Jail , Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kan Singh Oad Mr. Shekhar Mewara Mr. Vinod Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Ravindra Singh Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**खैरोदा** जिला **उदयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**110/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान आरजे 14 टीई 3044 को पकड़ा गया है और मौके से उक्त वाहन में सहअभियुक्त राकेश के सचेत आधिपत्य से 139 किलो 700 ग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ है। उनका कथन है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का मुख्य अभियुक्त राकेश से किसी भी प्रकार का कोई संबंध मोबाइल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से नहीं रही है। प्रार्थी/अभियुक्त कालूराम के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की राकेश से कोई संबद्धता दर्शित करने वाले तथ्य अभिलेख पर नहीं है, अपितु कालूराम की गोपाल जाट से उसकी संबद्धता बताई गई है और गोपाल जाट प्रकरण में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त कालूराम व प्रकाश के विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रणजीत व प्रकाश के संदर्भ में यह आरोप है कि उनके द्वारा घटना के दिन अन्य वाहन आरजे 14 टीआई 3044 जिसमें अवैध रूप से डोडापोस्त सहअभियुक्त राकेश द्वारा परिवहित किया जा रहा था तथा उपरोक्त वाहन आरजे 27 सीएल 3421 के माध्यम से एस्कॉर्ट किया जा रहा था और मौके पर उक्त वाहन को रोका गया है और अन्य वाहन जिसमें सहअभियुक्त राकेश सवार था, उससे वाणिज्यिक मात्रा में

डोडापोस्त बरामद हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में राकेश की सूचना के आधार पर अन्य सहअभियुक्त कालूराम को संबद्ध किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अन्य गुणावगुण पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के सचेत आधिपत्य से वाणिज्यिक मात्रा में उपरोक्त डोडापोस्त बरामद नहीं हुआ है, अन्य सहअभियुक्त राकेश के अन्य वाहन से बरामद हुआ है। राकेश की प्रत्यक्षतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से संबद्धता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त कालूराम व प्रकाश के विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रणजीत पुत्र ओम प्रकाश, 2. कालूराम पुत्र स्व. पूरणमल, 3. प्रकाश पुत्र देवाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तें:–

1. प्रार्थी/अभियुक्त **रणजीत पुत्र ओम प्रकाश** प्रत्येक माह के 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया

जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

2. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

3. इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

48-50-Yogeshwar Sharma/-